


26.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्रार्थी द्वारा  
स्टेट से कोई प्रतुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए  
जब स्टेट की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब  
स्टेट बन्द किया जाता है। वकील उभयपक्ष की  
बख्त हुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा ग्रार्थी का  
ग.पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना  
जाहिर किया गया। अतः ग्रार्थी का ग्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को जरिये यथाई  
निर्बंधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला  
मूल बाद तहसील घड़साना के चक 20 MD-A के  
प.नं. 23/11, मु. नं. 6 के किला नं. 5/3, 6, 15, 16,  
२५/ की कुल 1.145 हे० कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि  
के रिकॉर्ड की बंधास्थिति बनाये रखें। पत्रावली  
बाद तरीब तकमील होकर डाकिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यायालय  
में दुनाया गया।

  
(सुनील कुमार चौहान)  
RAS